माननीय न्यायमूर्ति **एस. एस. सारोन से पहले, अरुण पल्ली और लिसा गिल** **के समक्ष**

अतर याचिकाकर्ता

बनाम

द कमिश्नर, रोहतक डिवीजन, रोहतक और

प्रतिवादी

CM No.10456-CWP-2015 और CM No.10457-CWP-2015 in

2001 का सीडब्ल्यूपी No.19364

3 फरवरी, 2017

(ए) भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961-धारा 2 (जी) (I) से (Ix)-बहिष्करण खंड-पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) नियम, 1964-आरएल। 12 (हरियाणा की तरह)-राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गाँव के किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए बंजर कादिम या अप्रयुक्त भूमि का उपयोग नहीं किया जाना ग्राम पंचायत में निहित नहीं है-यह दिखाने की जिम्मेदारी मालिकों पर है कि भूमि बहिष्कृत खंडों में से एक में आती है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि, याचिकाकर्ता और गाँव के अन्य मालिक उस अप्रयुक्त भूमि के बारे में अपने दावे उठाने के लिए उत्तरदायी हैं जो 'शामलात देह' भूमि का हिस्सा नहीं है या दूसरे शब्दों में 'शामलात देह' की परिभाषा से 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) के बहिष्कृत खंड (i) से (ix) में से एक या अधिक खंडों में से एक है।किस प्रकार की भूमि का निर्धारण किया जाना बाकी है, उसे सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, झज्जर श्री प्रदीप कौशिक के शपथ पत्र दिनांक 02.02.2017 के साथ अनुलग्नक आर-1 और आर-2 में दर्शाया गया है।याचिकाकर्ता और गाँव के अन्य मालिक, यदि भूमि को 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) में निहित 'शामलात देह' की परिभाषा से बाहर रखा जाना है, तो वे यह दिखाने के लिए उत्तरदायी हैं कि भूमि बहिष्कृत खंडों में से एक के अंतर्गत आती है।

(पैरा 44) ने आगे कहा कि इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भूमि ज्यादातर 'बंजर कादिम' है।जैसा कि वर्ष 1950-51 (अनुलग्नक पी-1) के लिए जमाबंदी में पहले ही

देखा जा चुका है, 'बंजर कदीम' 810 बीघा 2 बिस्वास की सीमा तक दर्ज किया गया है। 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) के खंड (5) के संदर्भ में, 'शामलात देह' में 'बंजर कादिम' के रूप में वर्णित किसी भी गाँव की भूमि शामिल है और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। इसलिए, याचिकाकर्ता और अन्य मालिकों को 'बंजर कादिम' भूमि के संबंध में यह दिखाने की आवश्यकता होगी कि यह अतार सिंह बनाम आयोग, रोहतक विभाग था।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है और केवल तभी यह 'शामलात देह' के अर्थ में नहीं आएगा।

(पैरा 45)

(बी) पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1991-धारा 2 (बी)-1961 अधिनियम की धारा 2 (जी) के खंड (5) के तहत प्रावधान को हटा दिया गया-सामान्य खंड अधिनियम, 1897-धारा 6-चूक के लिए लागू नहीं-निरसन से अलग प्रावधान को हटाने का प्रभाव-कोई बचत खंड नहीं-प्रभाव यह है कि उक्त प्रावधान, जिसमें प्रावधान किया गया है कि गांव के कुल क्षेत्र का कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक 'शामलात देह' गांव में मौजूद नहीं है, 1961 के अधिनियम में कभी भी अस्तित्व में नहीं था-वैधानिक प्रावधानों के आधार पर किया जाने वाला निर्धारण।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) के खंड (5) के नीचे दिए गए परंतुक को पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1991 (1992 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9) की धारा 2 (बी) द्वारा हटा दिया गया है, जिसे हरियाणा राजपत्र (अतिरिक्त), विधायी पूरक, भाग I, दिनांक 11.02.1992 में प्रकाशित किया गया था। 1992 के उक्त हरियाणा अधिनियम संख्या 9 में कोई बचत खंड नहीं है। इसलिए, उक्त परंतुक को हटाने का प्रभाव यह है कि यह कानून यानी 1961 के अधिनियम में कभी भी अस्तित्व में नहीं था।

(पैरा 46)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि, सामान्य वित्त कंपनी वी. सी. आई. टी., (2002) 7

एस. सी. सी. 1, एक आयकर निर्धारिती ने 1985 में जमा प्राप्त किया जो आयकर अधिनियम, 1961 ('आई. टी. अधिनियम'-संक्षेप में) की खंड 269-एस. एस. का उल्लंघन था। इस तरह के अपराध के लिए उन पर आई. टी. अधिनियम की खंड 276-डी. डी. के तहत मुकदमा चलाया गया था, हालांकि 01.04.1989 से उस खंड को हटाने से पहले शुरू किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त प्रावधान को हटाने के बाद अभियोजन जारी नहीं रखा जा सकता है और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 ('जी. सी. अधिनियम'-संक्षेप में) की धारा 6 इस तरह के अभियोजन को नहीं बचा सकती क्योंकि इसकी धारा 6 केवल निरसन पर लागू होती है और किसी प्रावधान को छोड़ने पर नहीं। रिलायंस को सर्वोच्च न्यायालय में रखा गया था

रायल कार्पोरेशन (पी) लिमिटेड और एम. आर. प्रताप बनाम प्रवर्तन निदेशक, नई दिल्ली, (1969) 2 एस. सी. सी. 412 और कोल्हापुर केन-शुगर वर्क्स लिमिटेड और एंथोहर बनाम भारत संघ और अन्य, 2000 (2) आर. सी. आर.

(सिविल) 674:(2000) 2 एस. सी. सी. 536 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जी. सी. अधिनियम की खंड 6 अधिनियमों के निरसन के लिए लागू होती है लेकिन चूक के मामले में लागू नहीं होती है। (मूल पर जोर दें)

(पैरा 47)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) के खंड (5) के नीचे दिया गया परंतुक, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि गाँव के कुल क्षेत्र के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक 'शामलात देह' गाँव में मौजूद नहीं है, 1992 के हरियाणा अधिनियम संख्या 9 द्वारा हटा दिया गया है। इसलिए, इसका प्रभाव निरसन से अलग है और इसे इस तरह लिया जाना चाहिए जैसे कि इसका अस्तित्व ही नहीं था। भूमि का निर्धारण चाहे वे 'शामलात देह' हों या नहीं, 1961 के अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के आधार पर और 'बंजर कादिम' भूमि के मामले में 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) के खंड (5) के परंतुक के आधार पर किया जाना है।

(सी) ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948-धारा 2 (बीबी) 18 और 23-ए-पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961-एस। 2 (जी) और 13 (ए) (जैसा कि हरियाणा में लागू होता है)-गाँव में आम भूमि के

प्रकार-'शामलात देह'-स्वामित्व और स्वामित्व 1961 के अधिनियम की धारा 4 के संदर्भ में ग्राम पंचायत के पास निहित है-'जुमला मलकान' या 'मुश्तारका मलकान'-1948 के अधिनियम के तहत गाँव में समेकन कार्यवाही के दौरान तराशा गया और 1948 के अधिनियम की धारा 2 (बीबी) में परिभाषित 'सामान्य उद्देश्यों' के लिए उपयोग किया जाता है-ग्राम स्वामित्व निकाय के साथ स्वामित्व और स्वामित्व-प्रबंधन और नियंत्रण ग्राम पंचायत के पास निहित है।

माना जाता है कि यह ध्यान देने योग्य है कि गाँवों में दो प्रकार की आम भूमि होती है।एक 'शामलात देह' भूमि है जो ज्यादातर बस्तियों के समय बनाई गई थी।ये सामान्य भूमि समेकन कार्यों से पहले थी और समेकन कार्यों के दौरान सामान्य उद्देश्यों के लिए निर्धारित भूमि से स्वतंत्र हैं।इन्हें विभिन्न नामकरणों द्वारा 'शामलात देह' भूमि के रूप में दर्ज किया गया है।'शामलात देह' भूमि के मामले में, 1961 के अधिनियम की खंड 4 के अनुसार स्वामित्व और स्वामित्व गाँव की ग्राम पंचायत के पास निहित है। अन्य 'सामान्य भूमि' वे हैं जो 1948 के अधिनियम के तहत गाँव में समेकन कार्यवाही के दौरान बनाई गई हैं और 1948 के अधिनियम की खंड 2 (बीबी) में परिभाषित 'सामान्य उद्देश्यों' के लिए उपयोग की जाती हैं। इन भूमि का स्वामित्व और स्वामित्व ग्राम स्वामित्व निकाय के पास निहित है और केवल प्रबंधन और नियंत्रण ग्राम पंचायत के पास निहित है।ये भूमि जो 1948 के अधिनियम के तहत 'सामान्य उद्देश्यों' के लिए आरक्षित हैं, उन्हें राजस्व अभिलेखों में 'जुमला मलकान वा दिगर हकदरन अराज़ी हसब रसद', 'जुमला मलकान' या 'मुश्तारका मलकान' के रूप में दर्ज किया गया है।

(पैरा 41)

याचिकाकर्ता के लिए।

रणधीर सिंह, एडिशनल।ए. जी, हरियाणा।एस. पी. चाहर, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 5 के लिए।

एस. एस. सारोन, जे.

(1) याचिकाकर्ता अतर सिंह ने 2001 का सी. डब्ल्यू. पी. No.19364 दायर किया कि वह खुद एक 'बिसवेदार' है और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 आदेश 8 के संदर्भ में गांव

किलोली, तहसील और जिला झज्जर के अन्य मालिकों की ओर से भी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, झज्जर (प्रतिवादी संख्या 3), कलेक्टर, झज्जर (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा पारित 17.07.2000 (अनुलग्नक पी-7) और आयुक्त, रोहतक डिवीजन, रोहतक (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा पारित 25.10.2001 (अनुलग्नक पी-8); इसके अलावा, उत्परिवर्तन 12.11.1999 (अनुलग्नक पी-6) के आदेश को रद्द करने की मांग की।

(2) याचिकाकर्ता ने रोहतक जिले की झज्जर तहसील के गाँव किलोली में 1215 बीघा 16 बीघा भूमि के संबंध में वर्ष के लिए जमाबंदी (अनुलग्नक पी-1) को रिकॉर्ड में रखा है, जो वर्तमान मामले में विवाद का विषय है।उक्त भूमि का स्वामित्व 'शामलात देह हसब पैमना मल्कियत' के नाम से दर्ज किया गया है।खेती के स्तंभ में इसे 'मकबुजा मलकान' के रूप में दर्ज किया गया है।भूमि का विभाजन इस प्रकार दिया गया है:-

चाही पुख्त दिगर	डेहरी ढिकली	डेहरी	बरानी	भौर	बंजर जदीद	बंज
21-10	0-1	72-8	180-17	24-18	1-17	

(3) याचिकाकर्ता के अनुसार, 1215 बीघा 16 बीघा जमीन का स्वामित्व याचिकाकर्ता और गांव के अन्य मालिकों के पास उनके आनुपातिक हिस्से के अनुसार है।हालांकि, सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी, झज्जर ने याचिकाकर्ता और ग्राम निकाय के अन्य मालिकों को कोई नोटिस दिए बिना गलत तरीके से उक्त भूमि के संबंध में 'ग्राम पंचायत देह' के पक्ष में 'ग्राम पंचायत देह' को मंजूरी दे दी।सरकारी पत्र दिनांक 23.02.1954 को देखते हुए भूमि को 'ग्राम पंचायत देह' के पक्ष में परिवर्तित कर दिया गया था।

(4) ग्राम पंचायत, किलोली ने शुरू में 668 के खिलाफ पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (हरियाणा में लागू) ('1961 अधिनियम'-संक्षेप में) की खंड 7 के तहत एक आवेदन दायर किया था।

कुछ भूमि मालिक 03.06.1987 पर सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, झज्जर के समक्ष उपस्थित हुए।उक्त याचिका में प्रतिवादियों/भूमि मालिकों ने इस प्रभाव पर आपत्ति जताई कि ग्राम पंचायत विचाराधीन भूमि की मालिक नहीं थी और उन्होंने पचास वर्षों से अधिक समय तक यानी अपने पूर्वजों के समय से भूमि पर कब्जा करने का दावा किया था।भूमि 'बंजर

कादिम' बनी हुई थी और ग्राम पंचायत ने अपने स्वामित्व और कब्जे में 'शामलात देह' भूमि के 1215 बीघा 16 बीघा क्षेत्र को ले लिया था।यह कहा जाता है कि वास्तव में गाँव में 'शामलात देह' भूमि का कुल क्षेत्रफल 2694 बीघा 94 बिसवा था जो गाँव के कुल शामलात देह भूमि क्षेत्र का 25 प्रतिशत से अधिक था।इसके अलावा, स्वामित्व का सवाल भी शामिल था और जब तक यह तय नहीं किया गया था, तब तक आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था। सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, झज्जर के समक्ष आवेदक-ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 5) के विद्वान अधिवक्ता, यह देखा गया कि उक्त दलीलों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। शीर्षक के प्रश्न पर निर्णय लेने की आपत्ति 20.04.1988 (अनुलग्नक पी-9) पर स्वीकार की गई थी।आवेदन को अभिलेख कक्ष में भेज दिया गया।यह आदेश दिया गया कि विवादित भूमि के संबंध में, 1961 अधिनियम की खंड 13-ए के तहत मामला दर्ज किया जाए, जो 'न्यायनिर्णयन' से संबंधित है।खंड 13-ए निम्नानुसार हैः-

“ न्यायनिर्णयन-(1) कोई भी व्यक्ति या किसी पंचायत के मामले में, या तो पंचायत या उसके ग्राम सचिव, संबंधित खंड विकास और पंचायत अधिकारी, सामाजिक शिक्षा और पंचायत अधिकारी या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, जो इस अधिनियम के तहत पंचायत में निहित या समझी जाने वाली किसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा करता है, न्यायनिर्णयन के लिए मुकदमा दायर कर सकता है, चाहे वह भूमि या अन्य अचल संपत्ति 'शामलत देह' हो या नहीं और क्या कोई भूमि या अन्य अचल संपत्ति या कोई अधिकार, स्वामित्व या हित इस अधिनियम के तहत कलेक्टर के न्यायालय में किसी पंचायत में निहित है या निहित नहीं है, जिसकी अधिकार क्षेत्र उस क्षेत्र में है जहां ऐसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति निहित है।बशर्ते कि इस खंड के तहत भूमि या अन्य अचल संपत्ति के संबंध में कोई मुकदमा नहीं होगा, जो इस अधिनियम की खंड 7 के तहत कार्यवाही का विषय है या रहा है, जिसके तहत स्वामित्व का सवाल उठाया गया है और निर्णय लिया गया है या निर्णय के तहत है।

(2) उप-अटार सिंह बनाम आयोग, रोहतक विभाग के तहत मुकदमों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया,

खंड (1) वही होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में निर्धारित की गई है।”

(5) इसलिए, उपरोक्त प्रावधान एक मुकदमे के माध्यम से निर्णय लेने के लिए एक मुकदमा प्रक्रिया प्रदान करता है कि क्या कोई भूमि या अचल संपत्ति 'शामलात देह' है या नहीं और क्या कोई भूमि या अन्य अचल संपत्ति या उसमें कोई अधिकार, स्वामित्व या ब्याज 1961 के अधिनियम के तहत पंचायत में निहित है या नहीं। ऐसा निर्णय कलेक्टर के न्यायालय में किया जाना है, जिसकी अधिकार क्षेत्र उस क्षेत्र में है जहां ऐसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति स्थित है।

(6) हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उस समय जब सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, झज्जर द्वारा दिनांकित 20.04.1988 (अनुलग्नक पी-9) आदेश पारित किया गया था, खंड 13-ए के प्रावधान उस समय लागू थे और 1981 के हरियाणा अधिआदेश संख्या 2 द्वारा जोड़े गए थे। 1992 के हरियाणा अधिनियम संख्या 9 द्वारा खंड 13-ए को हटा दिया गया था और उसके बाद, 1999 के हरियाणा अधिनियम संख्या 9 द्वारा खंड 13-ए और खंड 13-ए. ए. को जोड़ा गया था। 1961 के अधिनियम की खंड 13-ए का उपरोक्त पुनरुत्पादन वैसा ही है जैसा वर्तमान में है।

(7) गाँव के कुछ मालिकों अर्थात् रिसाल सिंह और अन्य लोगों ने गाँव किलोली की ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 5) के खिलाफ विचाराधीन भूमि के संबंध में घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा (अनुलग्नक पी-3) सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, झज्जर (प्रतिवादी संख्या 3) के समक्ष 12.07.1988 पर दायर किया।उक्त भूमि मालिकों ने कहा कि ग्राम किलोली की ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 5) ने राजस्व अधिकारी के समक्ष इस आशय का गलत बयान दिया कि विवादित भूमि 'शामलात देह' थी और इसलिए, इसमें निहित कानून के अनुसार।इसके बाद, आवेदकों की अनुपस्थिति में में ग्राम पंचायत, किलोली (प्रतिवादी संख्या 5) के पक्ष में उत्परिवर्तन No.409 दिनांक 28.12.1954 (अनुलग्नक पी-2) को मंजूरी दी गई।यह कहा गया था कि यह भूमि ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 5) में निहित नहीं थी और न ही यह 'शामलात देह' भूमि थी।यह दावा किया गया था कि आवेदक/भूमि मालिक मालिक के रूप में अपने आनुपातिक हिस्से के अनुसार भूमि पर कब्जा कर रहे थे।26.01.1950 2 से पहले उनका अधिकार बरकरार था।इसके अलावा,

1 हरियाणा सरकार। राजपत्र (अतिरिक्त) एल. एस. दिनांक 10.03.1999।

2 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) के खंड (iii), (iv) और (viii) में भूमि को अलग-अलग भूमि धारकों द्वारा विभाजित और खेती के तहत लाए जाने को दर्शाते हुए 'शामलात देह' की परिभाषा से हटाने के लिए तारीख तय की गई है; या किसी व्यक्ति द्वारा 'शामलात देह' में सह-हिस्सेदार से स्वामित्व वाली भूमि की खरीद या विनिमय द्वारा अधिग्रहित किया गया है और ऐसा, जामबंदी में दर्ज किया गया है या एक वैध विलेख द्वारा समर्थित है; या भूमि राजस्व के लिए मूल्यांकन किया गया था और व्यक्तिगत रूप से खेती करने वाले 670 में रहा है।

भूमि 'बंजर कादिम' थी और यह गाँव की कुल राजस्व संपत्ति का 25 प्रतिशत से भी अधिक थी। इसलिए, यह ग्राम पंचायत, किलोली (प्रतिवादी संख्या 5) में निहित नहीं था।

(8) ग्राम पंचायत, किलोली (प्रतिवादी संख्या 5) ने उक्त मुकदमे (अनुलग्नक पी-3) के लिए दिनांक 12.12.1988 का एक लिखित बयान (अनुलग्नक पी-4) मुकदमा किया। यह कहा गया था कि मामले में घोषणा गाँव में प्रभावित हुई थी और आवेदकों और अन्य प्रतिवादी को भी उत्परिवर्तन कार्यवाही के बारे में पता था। यह कहा गया है कि विचाराधीन भूमि के परिवर्तन को मंजूरी दी गई थी क्योंकि भूमि ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 5) के पास निहित थी। आवेदकों/भूमि मालिकों ने उस भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया था।

(9) सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ने 12.11.1999 (अनुलग्नक पी-6) के आदेश के माध्यम से 15.03.1999 पर दर्ज एक अन्य मुकदमे में जिसका शीर्षक था रिसाल सिंह और अन्य बनाम ग्राम पंचायत, ग्राम किलोली ने भूमि मालिकों के मुकदमा को खारिज कर दिया। ग्राम पंचायत, किलोली (प्रतिवादी संख्या 5) को विवादग्रस्त भूमि का स्वामी माना गया था; इसके अलावा, उत्परिवर्तन No.409 दिनांक 28.12.1954, यह माना गया था कि ग्राम पंचायत, किलोली (प्रतिवादी संख्या 5) के पक्ष में कानूनी और उचित रूप से स्वीकृत किया गया था।

(10) अत्तार सिंह (याचिकाकर्ता) और दो अन्य ने कलेक्टर, झज्जर के समक्ष सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, झज्जर द्वारा पारित दिनांक 12.11.1999 (अनुलग्नक पी-6) के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। कलेक्टर ने दिनांक 17.07.2000 (अनुलग्नक पी-7) के आदेश के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 1954 में स्वीकृत उत्परिवर्तन यानी उत्परिवर्तन No.409 दिनांक 28.12.1954 (अनुलग्नक पी-2) के आधार पर, ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 5) विवादित भूमि की मालिक थी। कलेक्टर के समक्ष अपीलार्थियों का कब्जा, यानी भूमि मालिकों को अवैध माना गया था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यदि भूमि मालिकों को कोई आपत्ति है तो वे उक्त उत्परिवर्तन के खिलाफ सक्षम न्यायालय में मामला दायर करने के लिए उत्तरदायी हैं। अतर सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका

सह-भागीदारों का कब्जा क्रमशः उनके संबंधित शेयरों से अधिक नहीं होना।

3 गाँव की कुल राजस्व संपदा का 25 प्रतिशत से अधिक भूमि होने के संबंध में अभिकथन 1961 के अधिनियम की खंड 2 (जी) के खंड (5) के प्रावधान के रूप में किए गए थे, जिसमें 'बंजर कादिम' के रूप में वर्णित किसी भी गाँव की भूमि से संबंधित 'शामल देह' में भूमि को शामिल करने का प्रावधान है और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें परिकल्पना की गई है कि गाँव के कुल क्षेत्र का

कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक 'शामल देह' गाँव में मौजूद नहीं है। खंड 2 (छ) के खंड (5) के उक्त परंतुक को 1992 के हरियाणा सं. 9 द्वारा हटा दिया गया है।

रोहतक डिवीजन, रोहतक के आयुक्त के समक्ष अन्य मामलों के साथ 25.10.2001 (अनुलग्नक पी-8) पर खारिज कर दिया गया था।

(11) 1991 के अतर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य सी. डब्ल्यू. पी. No.15644 शीर्षक वाले मामले में एक और आदेश इस न्यायालय द्वारा 21.12.1998 (अनुलग्नक पी-5) पर पारित किया गया था। उक्त याचिका में, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, झज्जर द्वारा दिनांक 1 का एक आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं/भूमि मालिकों द्वारा 1961 के अधिआदेश की खंड 13-ए के तहत मुकदमा मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। दिनांकित 13.11.1990 और 26.04.1992 के आदेश को भी चुनौती दी गई थी, जिसके तहत सहायक कलेक्टर के आदेशों को कलेक्टर, रोहतक द्वारा और आयुक्त, रोहतक डिवीजन, रोहतक द्वारा संशोधन में बरकरार रखा गया था। यह देखा गया कि याचिकाकर्ताओं के मुकदमे को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इसे संशोधित नियमों के प्रवर्तन के पांच साल के भीतर मुकदमा किया जा सकता था जो 12.01.1981 पर लागू हुए थे। हालांकि, सहायक कलेक्टर प्रथम खंड ने माना कि 1961 के अधिनियम की धारा 13-ए के तहत 13.07.1988 पर मुकदमा किए गए मुकदमे को समय द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।

(12) याचिकाकर्ताओं के वकील अत्तार सिंह और अन्य लोगों ने इस अदालत के समक्ष उक्त याचिका (1991 का सी. डब्ल्यू. पी. No.15644) में कहा कि सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी का यह निष्कर्ष कि मुकदमे को समय पर रोक दिया गया था, स्पष्ट मुकदमा से असमर्थनीय था क्योंकि याचिकाकर्ताओं को वाद हेतुक केवल तभी प्राप्त हुआ था जब विवादित भूमि को पट्टे पर देने की धमकी दी गई थी। यह तर्क दिया गया कि तभी याचिकाकर्ताओं ने व्यथित महसूस किया और 1961 के अधिनियम की खंड 13-ए के तहत मुकदमा दायर किया।

(13) ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 5) की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि आदेश कानून में टिकाऊ नहीं थे और उन्हें रद्द किया जा सकता है। ग्राम पंचायत के वकील (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा दी गई उचित रियायत को देखते हुए, रिट याचिका (1991 का सी. डब्ल्यू. पी. No.15644) को अनुमति दी गई और 3.7.1989,13.11.1990 और 23.04.1991 के आदेशों को रद्द कर दिया गया। सहायक

कलेक्टर प्रथम खंड को याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने बोर्ड में दायर 1961 के अधिनियम की धारा 13-ए के तहत याचिका लेने और छह महीने के भीतर कानून के अनुसार तेजी से और अधिमानतः निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।

(14) प्रतिवादी संख्या 5 से 21,23 से 26 और 28 की ओर से वर्तमान याचिका (2001 का सी. डब्ल्यू. पी. No.19364) में लिखित बयान दायर किया गया था। यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 12.11.1999 (अनुलग्नक पी-6), दिनांक 672 के विवादित आदेशों के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।

17.07.2000 (अनुलग्नक पी-7) और दिनांकित 25.10.2001 (अनुलग्नक पी-8) 1961 के अधिआदेश के तहत पारित किया गया। यह कहा गया था कि याचिका विचारणीय नहीं थी क्योंकि अधिकारियों द्वारा तथ्य का शुद्ध निष्कर्ष दर्ज किया गया था और विवादित आदेशों में कोई अधिकार क्षेत्र की त्रुटि नहीं थी। यह आगे कहा गया कि यह तथ्य के निष्कर्ष के रूप में माना गया था कि ग्राम पंचायत, ग्राम किलोली (प्रतिवादी संख्या 5) विचाराधीन भूमि का मालिक था और 1961 के अधिनियम की खंड 13-ए के तहत मुकदमा याचिकाकर्ता के मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि उत्परिवर्तन No.409 दिनांक 18.12.1954 (अनुलग्नक पी-2) को सीमा के बिंदु पर अलग करने के लिए उत्तरदायी नहीं था और याचिकाकर्ता के मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था।

(15) यह आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता ने याचिका के सूचकांक के ध्यान दें (iii) में गलत तरीके से उल्लेख किया था कि वर्तमान याचिका जय सिंह बनाम हरियाणा राज्य सी. डब्ल्यू. पी. 1992 के मामले के समान थी, जो उस समय लंबित था और तब से पूर्ण पीठ द्वारा 13.03.2003 पर निर्णय लिया गया है और (2003-2) पी. एल. आर. 658 में सूचित किया गया है। यह भी कहा गया था कि वास्तव में उक्त रिट याचिका (यानी जय सिंह का मामला) का वर्तमान मामले में विवाद से कोई लेना-देना नहीं था। उक्त रिट याचिका में (यानी जय सिंह के मामले में), पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1991 (1992 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9) की संवैधानिक वैधता और गाँव के स्वामित्व निकाय से ग्राम पंचायत के पक्ष में परिवर्तन को चुनौती दी गई थी। तथापि, वर्तमान मामले में 1992 के उक्त अधिनियम संख्या 9 के अधिकारों को चुनौती नहीं दी गई थी। इसके अलावा, ग्राम पंचायत, किलोली (प्रतिवादी संख्या 5) के पक्ष में 28.12.1954 (अनुलग्नक पी-2) पर स्वीकृत उत्परिवर्तन को 1992 के अधिनियम संख्या 9 द्वारा किए गए संशोधन को देखते हुए

मंजूरी नहीं दी गई थी।वर्तमान मामले में, चुनौती उस आदेश को दी गई थी जिसे 1961 के अधिआदेश की खंड 13-ए के तहत याचिकाकर्ता के मुकदमे को अधिआदेश के तहत अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि याचिका ने याचिका के सूचकांक के ध्यान दें (iii) में जय सिंह के मामले (सुप्रा) में मुकदमा याचिका संख्या का उल्लेख करते हुए इस अदालत को गुमराह करने की कोशिश की थी।इसलिए याचिका खारिज की जा सकती थी।

(16) याचिका के सूचकांक में, 'कोई अन्य मामला' शीर्षक के तहत ध्यान दें (iii) में, यह उल्लेख किया गया है कि 2001 के सी. डब्ल्यू. पी. No.10872 को इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा 27.07.2001 पर स्वीकार किया गया था, जिसे आगे जय सिंह के मामले (1992 का सी. डब्ल्यू. पी. No.5877) में पूर्ण पीठ के निर्णय के बाद आने का आदेश दिया गया था।इस बीच, यह आदेश दिया गया कि पार्टी कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेगी जैसा कि उक्त तिथि पर मौजूद था।

2001 का एक अन्य मामला अर्थात सी. डब्ल्यू. पी. No.11139 ने स्वीकार किया कि अतार सिंह बनाम आयोग, रोहतक विभाग,

उसी खण्ड पीठ द्वारा उल्लेख किया गया था, जिसे 2001 के उपरोक्त सी. डब्ल्यू. पी. No.10872 के साथ सुनवाई का आदेश दिया गया था और उसी मामले में अंतरिम आदेश भी पारित किया गया था।वर्तमान रिट याचिका (2001 की सी. डब्ल्यू. पी. No.19364) को 12.12.2001 पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था और इसे स्वीकार किया गया था और 2001 की सी. डब्ल्यू. पी. No.10872 के साथ सुनवाई का आदेश दिया गया था। वर्तमान रिट याचिका को अंततः इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निम्नलिखित आदेश के साथ 13.03.2003 पर निपटाया गया थाः-

"ऑर्डर के लिए 1992 का सी. डब्ल्यू. पी. No.5877 देखें।

(17) जय सिंह के मामले (ऊपर) 4 में पारित आदेश के आधार पर पूर्ण पीठ द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया है।

(18) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के अवलोकन से पता चलता है कि विचाराधीन भूमि विभिन्न दौर के मुकदमों का विषय रही है; हालाँकि, भूमि की प्रकृति के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और क्या यह 1961 के अधिनियम की खंड 2 (जी) में परिभाषित 'शामलात देह' का हिस्सा है या नहीं।

(19) इसके बाद आवेदक अत्तार सिंह ने 2015 के वर्तमान मुख्यमंत्रियों को विचाराधीन भूमि से बेदखल करने पर रोक लगाने के लिए दायर किया; इसके अलावा, वर्तमान याचिका में पूर्ण पीठ द्वारा पारित दिनांकित आदेश को याद करने और एक उचित आदेश पारित करके अपने गुण-दोष पर रिट याचिका पर निर्णय लेने के लिए।

(20) आवेदक/याचिकाकर्ता ने कहा कि वह और अन्य मालिक शुरु से ही विचाराधीन भूमि के मालिक हैं।इसलिए, उनका वास्तविक भौतिक खेती का अधिकार वर्ष 1953 से बारह साल पहले भी जारी है।इस प्रकार वे 1961 के अधिनियम की खंड 4 (3) (ii) के लाभ के हकदार थे। 1961 के अधिनियम की खंड पंचायत और गैर-मालिकों को अधिकार सौंपने से संबंधित है।यह मुख्य रूप से प्रावधान किया गया है कि भूमि में जो भी अधिकार, स्वामित्व और ब्याज किसी भी गाँव के 'शामलात देह' में शामिल है और जो 'शामलात कानून' के तहत पंचायत में निहित नहीं था, वह 1961 के अधिनियम के प्रारंभ पर ऐसे गाँव के लिए गठित पंचायत में निहित होगा।खंड 4 की उप-खंड (3) (ii), जिसे याचिकाकर्ता द्वारा दबाया गया है, में यह प्रावधान है कि उप-खंड (1) के खंड (ए) और उप-खंड (2) में निहित कुछ भी 1961 के अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले बारह वर्षों से अधिक समय तक 'शामलत देह' की खेती करने में व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा या कभी प्रभावित नहीं किया है, बिना किराए के भुगतान या शुल्क के भुगतान के।

4 (2003-2) पी. एल. आर. 658 674

भूमि राजस्व और उस पर देय उपकर से अधिक।(21) यह कहा गया है कि वर्तमान मामले में, विचाराधीन भूमि को ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा कभी पट्टे पर नहीं दिया गया था या किराए पर नहीं दिया गया था और याचिकाकर्ता और अन्य मालिकों ने कभी भी उक्त भूमि को पट्टे या किराए पर नहीं लिया था और न ही उन्होंने कोई शुल्क दिया था, इसलिए, प्रतिकूल कब्जे के रूप में भी वे विचाराधीन भूमि के मालिक बन गए थे।

(22) यह आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता और अन्य लोगों का मामला यह है कि ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 5) ने याचिकाकर्ता और अन्य मालिकों के खिलाफ 1961 के अधिनियम की खंड 7 के तहत विचाराधीन भूमि के संबंध में और उन्हें इस आधार पर बाहर निकालने के लिए कि वे अवैध कब्जे में थे, दिनांक 1 पर एक आवेदन दायर किया था। हालांकि, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ने दिनांक 20.04.1988 (अनुलग्नक पी-9) के आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को खारिज कर दिया।उक्त आदेश दिनांक 20.04.1988

(अनुलग्नक पी-9) में यह देखा गया कि गाँव में 'शामलात देह' का कुल क्षेत्रफल 2694 बीघा 94 बिसवा है जो गाँव के कुल 'शामलात देह' क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक है। इसलिए, स्वामित्व का प्रश्न शामिल था और जब तक शीर्षक का प्रश्न तय नहीं किया गया था, तब तक वर्तमान आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था।

(23) ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 5) ने 1961 के अधिनियम की धारा 13-ए के तहत सहायक कलेक्टर प्रथम खंड के समक्ष मुकदमा दायर किया। हालांकि, उक्त मामले में कार्यवाही को ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 5) को उपायुक्त के कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश के साथ दिनांक 21.02.1990 के आदेश के माध्यम से सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा रिकॉर्ड कक्ष में अनिश्चित काल के रूप में भेज दिया गया था कि क्या उक्त मुकदमा बनाए रखने मुकदमा था। हालाँकि, ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 5) ने न तो उपायुक्त के कार्यालय से मुकदमे की रखरखाव के संबंध में कोई स्पष्टीकरण माँगा और न ही उक्त मुकदमे को मुकदमा किया। इसके अलावा, इसने विचाराधीन भूमि के स्वामित्व पर निर्णय लेने के लिए अधिनियम की खंड 13-ए के तहत कोई अन्य मुकदमा दायर नहीं किया। याचिकाकर्ता और गाँव के अन्य मालिकों द्वारा विचाराधीन भूमि का स्वामित्व तय करने के लिए मुकदमा किए गए मुकदमे को प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा दिनांकित 12.11.1999 (अनुलग्नक पी-6), 17.07.2000 (अनुलग्नक पी-7) और 25.10.2001 (अनुलग्नक पी-8) के आदेशों के माध्यम से क्रमशः सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, झज्जर (प्रतिवादी संख्या 3), कलेक्टर, झज्जर (प्रतिवादी संख्या 2) और आयुक्त, रोहतक डिवीजन, रोहतक (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा पारित किया गया था। उक्त आदेश वर्तमान याचिका (2001 का सी. डब्ल्यू. पी. No.19364) में चुनौती का विषय थे।

(24) इस बीच, हरियाणा राज्य ने 1992 के अधिनियम संख्या 9 के माध्यम से 1961 के अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया, जिसके तहत 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) में निहित 'शामल देह' की परिभाषा में खंड (5) के बाद खंड (6) को 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) में जोड़ा गया। इसके अलावा एक 'स्पष्टीकरण' भी जोड़ा गया था। इन्हें उन भूमि का हिस्सा बनाने के लिए जोड़ा गया था जो 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) के संदर्भ में 'शामलत देह' की परिभाषा में शामिल हैं। खंड (6) में प्रावधान किया गया है कि पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 50) ('1948 अधिनियम'-संक्षेप में) की धारा 18 के तहत एक

गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि, जिसका प्रबंधन और नियंत्रण उपरोक्त 1948 अधिनियम की धारा 23-ए के तहत ग्राम पंचायत में निहित है। 'स्पष्टीकरण' के संदर्भ में अधिकारों के अभिलेख के स्वामित्व के स्तंभ में दर्ज की गई भूमि, 'जुमला मलकान वा दिगर हक्कदारन अराज़ी हसब रसद', 'जुमला मलकान' या 'मस्टरका मलकान' 1961 के अधिनियम की उक्त धारा 2 (जी) के अर्थ में 'शामलात देह' होनी थी।

(25) 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) के संदर्भ में 'शामलत देह' भूमि में शामिल की जाने वाली भूमि के बीच उक्त खंड (6) के सम्मिलन और इसके 'स्पष्टीकरण' की वैधता को चुनौती दी गई थी और जय सिंह के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय पारित किया गया था।

(26) इस प्रक्रिया में, याचिकाकर्ता और गाँव किलोली के अन्य मालिकों के संबंध में विचाराधीन भूमि के स्वामित्व का निर्णय करने के लिए 1961 के अधिआदेश की खंड 13-ए के तहत पारित विवादित आदेश वर्तमान याचिका में तय नहीं किए गए थे, जिसे जय सिंह मामले (सुप्रा) में पारित आदेश के संदर्भ में 13.03.2003 पर निपटाया गया था।(27) सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी, झज्जर ने जय सिंह के मामले (उपरोक्त) में इस अदालत की पूर्ण पीठ द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में गाँव के स्वामित्व निकाय के पक्ष में दिनांक 17.10.2004 का उत्परिवर्तन दर्ज किया।उक्त उत्परिवर्तन को ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा आपत्तियां दर्ज करके चुनौती दी गई थी।इसे सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को एक विवादित उत्परिवर्तन के रूप में भेजा गया था।सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ने दिनांक 06.06.2006 के आदेश के माध्यम से दिनांकित 17.10.2004 के उत्परिवर्तन को अमान्य ठहराया और यह भी माना कि 28.12.1954 (अनुलग्नक P-2) पर स्वीकृत उत्परिवर्तन वैध था।सहायक कलेक्टर द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 06.06.2006 के खिलाफ अपील को कलेक्टर द्वारा दिनांक 30.03.2007 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता और अन्य मालिकों की पुनरीक्षण याचिका को भी आयुक्त ने 26.03.2015 पर खारिज कर दिया था।याचिकाकर्ता और अन्य मालिकों ने 676 दायर किए

इस न्यायालय में 2015 की एक याचिका अर्थात सी. डब्ल्यू. पी. No.11984 दिनांकित 06.06.2006,30.03.2007 और 26.03.2015 के साथ-साथ दिनांकित 28.12.1954 (अनुलग्नक पी-2) के उत्परिवर्तन के खिलाफ है।

(28) 2015 की उक्त याचिका यानी सी. डब्ल्यू. पी. No.11984 में सुनवाई के दौरान, यह पता चला कि वर्तमान याचिका (यानी 2001 की सी. डब्ल्यू. पी. <आई. डी. 2) का जय सिंह के मामले (उपरोक्त) में निर्णय के संदर्भ में गलत निर्णय लिया गया था। वास्तव में इसका निर्णय स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए था और इसका जय सिंह के मामले (उपरोक्त) से कोई संबंध नहीं था। परिणामस्वरुप, 2001 के वर्तमान सी. डब्ल्यू. पी. No.19364 की पेपर बुक के अवलोकन के बाद 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. No.11984 में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ कहा कि यह पता चला है कि याचिकाकर्ता ने 1961 के अधिनियम की धारा 13-ए के तहत पारित आदेशों को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि भूमि 'शामलत देह' थी और यह ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 5) में निहित थी। यह देखा गया कि याचिकाकर्ता ने जय सिंह के मामले (1992 का सी. डब्ल्यू. पी. No.5877) के साथ रिट याचिका (2001 का सी. डब्ल्यू. पी. No.19364) को टैग किया, हालांकि जैसा कि पहले से ही 06.07.2015 के आदेश में दर्ज किया गया है, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका का जय सिंह के मामले (ऊपर) में विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। यह आगे देखा गया कि याचिकाकर्ता ने तब जय सिंह के मामले (उपरोक्त) में पारित आदेश के संदर्भ में रिट याचिका का निपटारा कराया, जिसके तहत ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 5) के नाम से उत्परिवर्तन को बदलने के लिए राजस्व अधिकारियों से संपर्क करने का निर्देश जारी किया गया था। सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ने इस तथ्य की परवाह किए बिना कि जय सिंह के मामले (उपरोक्त) में 'जुमला मस्टरका मलकान' भूमि से संबंधित आदेश पारित किया गया था और वर्तमान मामले में भूमि 'शामलात देह' भूमि थी, ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 5) के पक्ष में उत्परिवर्तन को अलग कर दिया। उत्परिवर्तन के उक्त आदेश का लाभ उठाते हुए, याचिकाकर्ता ने 1961 के अधिआदेश की धारा 13-ए के तहत एक और याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया और यह खण्ड पीठ के समक्ष 2015 की सी. डब्ल्यू. पी. No.11984 याचिका का विषय था। याचिकाकर्ता अतर सिंह की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि 2001 के वर्तमान सी. डब्ल्यू. पी. का जय सिंह के मामले (1992 का सी. डब्ल्यू. पी. No.5877) (ऊपर) के साथ निपटारा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने वर्तमान रिट याचिका के निपटारे के आदेश को वापस लेने के लिए 2001 के वर्तमान सी. डब्ल्यू. पी. No.19364 में एक उचित आवेदन दायर करने के लिए समय की प्रार्थना की। उक्त परिस्थितियों में, वर्तमान आवेदन (2015 का सीएम No.10457) दायर किया गया है।

(29) आवेदन का नोटिस महाधिवक्ता हरियाणा को 01.10.2015 पर जारी किया गया था। राज्य और ग्राम पंचायत (प्रतिवादी संख्या 5) की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया गया था।

वर्तमान सिविल मिस में आवेदक/याचिकाकर्ता।आवेदन में कहा गया है कि अन्य प्रतिवादी को सेवा देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने 'जुमला मस्टरका मलकान' में अधिकारों का दावा किया है जो 'शामलात देह' का विषय नहीं है।(30) इस न्यायालय ने <आई. डी. 1] पर राज्य के विद्वान वकील से 1215 बीघा 16 बिस्वास की भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा, जो मुद्दे का विषय था।इसके बाद इस मामले को आई. डी. 1 पर उठाया गया, जिस तारीख को हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता रणधीर सिंह ने कहा कि 1215 बीघा 16 बीघा भूमि में से लगभग 140 एकड़ भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया था, जिसे 'सामान्य उद्देश्य' कहा जा सकता है।उन्हें उस भूमि का विभाजन देने के लिए कहा गया था जिसका उपयोग किया गया था यानी खसरा संख्या और भूमि का प्रकार।इसके अलावा, उन्हें 1215 बीघा 16 बिस्वास के संबंध में भूमि का विवरण देने के लिए भी कहा गया था, यानी कि यह 'बंजर कादिम', 'गैर मुमकिन' या 'बरानी' आदि था या नहीं।

(31) श्री प्रदीप कौशिक, एच. सी. एस., उप-मंडल अधिकारी (सिविल) सह सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, झज्जर का एक शपथ पत्र प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से दायर किया गया है।

(32) यह कहा गया है कि वर्ष 1950-51 और 1954-55 के 'फरद जामबंदियों' में समेकन अधिकारी सह तहसीलदार, झज्जर की रिपोर्ट के अनुसार, 1215 बीघा 16 बिसवों की भूमि ग्राम पंचायत, किलोली (प्रतिवादी संख्या 5) के स्वामित्व में थी, जबकि वर्ष 2011-12 के 'फरद जामबंदियों' में, भूमि को 1130 बीघा 4 बिसवों की सीमा तक दिखाया गया है।वर्ष 1950-51 और 2011-12 के लिए अपनी तरह आदि सहित भूमि का पूरा विवरण क्रमशः अनुलग्नक आर-1 और आर-2 में दर्शाया गया है।यह भी उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त कुल भूमि 1215 बीघा 16 बीघा में से 4 बीघा 17 बीघा भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई थी।इसके अलावा, खसड़ा Nos.1799,1800,1801 और 1802 मिनट में शामिल भूमि से उत्परिवर्तन No.672 दिनांक 11.07.1994 के माध्यम से 80 बीघा 15 बिसवा की भूमि को नवोदय स्कूल, किलोली को हस्तांतरित किया गया था।इस तरह, 1215 बीघा 16 बीघा भूमि में से कुल 85 बीघा 12 बीघा भूमि का उपयोग किया गया है।1130 बीघा 4 बीघा की शेष भूमि को संलग्नक आर-2 में दर्शाया गया है।

(33) यह आगे उल्लेख किया गया है कि 1130 बीघा 4 बीघा यानी 706 एकड़ 3 कनाल 0 मरला की शेष भूमि में से लगभग 140 एकड़ भूमि का उपयोग स्कूल, पशु चिकित्सा अस्पताल, जौहर (तालाब), रास्ता 678 जैसे 'सामान्य उद्देश्यों' के लिए किया जा रहा था।

सारे आम (आम सड़क), पावर हाउस, पार्क, स्टेडियम, सार्वजनिक शौचालय, शमशान घाट, दिग्गी और ग्राम सचिवालय आदि। यह भी उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त 140 एकड़ भूमि में से 3 बीघा 4 बिसवा भूमि जिसमें खसरा No.1955/222 शामिल है, गाँव किलोली की अनुसूचित जाति के सदस्यों को 1194 में परिवर्तन Nos.1084 के माध्यम से आवंटित की गई है। खसरा Nos.1798,1797/2 में 12 बीघा 4 बिसवा मापने वाली भूमि सड़क के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है। 'जौहर' (तालाब) के उद्देश्य से 28 बीघा 9 बिसवा की भूमि का उपयोग किया जाता है, जिसमें खसरा Nos.336 'अलिफ', 1985/583,897 मिनट, 213,214,160-[के, 277,1683 मिनट] शामिल हैं। इसके अलावा, गाँव में आम 'रास्ता' (पथ) के लिए खसरा No.34,291,437 मिनट, 569,797,830,908/1-3 मिनट, 1128 में शामिल 26 बीघा 8 बिसवा भूमि का उपयोग किया जाता है। 3 बीघा 4 बिसवा मापने वाले खसरा No.1499 वाली भूमि में एक सार्वजनिक उद्यान है; इसके अलावा, 6 बीघा 8 बिसवा मापने वाले खसरा No.1476 वाली भूमि में एक स्टेडियम है। खसरा सं. 1977 में 6 बीघा 8 बिसवा वाली भूमि का उपयोग सामान्य शौचालयों/'सोचल्या' के लिए किया जा रहा है। 1 बीघा 12 बिसवा मापने वाले खसरा No.329 वाली भूमि में दाह संस्कार स्थल/'शमशान' है। खसरा No.1127 मापने वाले 6 बीघा 8 बिस्वास और खसरा No.882 मापने वाले 1 बीघा 12 बिस्वास वाली भूमि में एक 'डिग्गी'/पानी की टंकी है। खसरा Nos.330,331,332,333 में शामिल 5 बीघा 19 बिस्वास की भूमि में एक स्कूल के साथ-साथ एक पशु चिकित्सा अस्पताल भी है। 334. 1 बीघा 12 बिसवा मापने वाली भूमि में एक 'ग्राम सचिवालय' है जिसमें खसरा No.977 शामिल है। यह भी उल्लेख किया गया है कि उच्च अधिकारियों की अनुमति से सीमा सुरक्षा बल (बी. एस. एफ.) द्वारा खसरा Nos.1803,1804 और 1805 में 126 बीघा 3 बिसवा की भूमि विकसित की गई है। रु. की राशि। 20.00 करोड़ 19.12.2014 पर और रु। ग्राम पंचायत, किलोली (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा 'आईडी2' पर 17.5 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए हैं और बी. एस. एफ. से इंडियन ओवरसीज बैंक, शाखा झज्जर में अपने खाते 'आईडी1' में।

(34) वर्ष 1950-51 की 'फरद जमाबंदी' के अनुसार संपत्ति का विवरण संलग्नक आर-1 में दिया गया है जो इस प्रकार हैः-.

कुल भूमि	भूमि का	बीघा-विश्व में	मापन एकड़-	उत्परिवर्तन

	प्रकार	मापन	कनाल-मारिया	संख्या और अन्य विवरण
कुल भूमि	भूमि का प्रकार	बीघा-विश्व में मापन	मापन एकड़-कनाल-मारिया	उत्परिवर्तन संख्या और अन्य विवरण
(ए) खेती योग्य भूमि 337 बीघा 15				
बरानी	188-08	117-6-00		
भूद	25-00	15-5-00		

अतार सिंह बनाम आयोग, रोहतक विभाग,

679

रोहतक और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

बिस्वास अर्थात 211 एकड़ 0 कनाल 15 मरला			
चाही पूदिगर	46-16	29-2-00	
चाही दहीर	20-03	12-4-15	
द	0	0	

ाहिरटिकली	0-02	-0-10	
दाहरी	57-06	35-069-10	
कुल (ए)	337-15	211-00-15	
(ख) गैर-कृषि योग्य भूमि 878 बीघा 1 बिस्वास अर्थात 548 एकड़ 06 कनाल 15 मरला			
बंजरजादीद	3-08	2-01-00	
बंजरक	772-	482-	

ादिम	14	07-10		
गेयरमुम्,किन	101-19	63-5-15		
कुल (बी)	878-01	548-06-15		
(ए + बी) कुल 1215 बी 16 बी	कुल (ए + बी)	1215-16	759-07-00	

अर्थात 759ए 07के-00मीटर				

(35) इसके अलावा, वर्ष 2011-12 की 'फरद जमाबंदी' के अनुसार संपत्ति का विवरण संलग्नक आर-2 में दिया गया है, जो इस प्रकार हैः

कुल भूमि	भूमि का प्रकार	बीघा-विश्व में मापन	मापन एकड़-कनाल-मारिया	उत्परिवर्तन संख्या और अन्य विवरण
कुल भूमि	भूमि का प्रकार	बीघा-विश्व में मापन	मापन एकड़-कनाल-मारिया	उत्परिवर्तन संख्या और अन्य विवरण
(क) खेती योग्य भूमि 330 बीघा 9 बिस्वास अर्थात 206 एकड़ 4 कनाल 5 मरला				
बरानी	190-14	119-1-10		
भूद	22-11	14-0-15		
चाही पू दिगर	38-01	23-6-05		
चाही दहीर	13-04	8-2-0		
दाहिर टिकली	00-02	0-0-10		

दाहरी	65-17	41-1-15	
कुल (ए)	330-0-9	206-4-05	
(ख) गैर-कृषि योग्य भूमि 799 बीघा 15 बिस्वास अर्थात 499 एकड़ 06 कनाल 15 मरला			
बंजर जादीद	00-07	0-1-15	
बंजर कादिम	696-12	435-3-00	
गे	1	6	उत्प

यरमुम्किन	02-16	4-2-00	रिवर्तन No. 603 और भूमि 85 B 12 B	
कुल (बी)	799-15	499-6-15		
(ए + बी) कुल 1130 बी 04 बी अर्थात 7	कुल (ए + बी)	1215-16	706-03-00	

06ए-3के-00मीटर				

(36) जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है और जिस पर प्रभावी रूप से विचार नहीं किया गया है, वह यह है कि क्या गाँव का स्वामित्व निकाय उस भूमि का हकदार है जिसका वे स्वामित्व अधिकार का दावा करते हैं।जहाँ तक उस भूमि का निपटान किया गया है और जिसके लिए पंचायत को भुगतान प्राप्त हुआ है और जिस भूमि का उपयोग अन्यथा सामान्य उद्देश्यों के लिए किया गया है, याचिकाकर्ता और अन्य मालिकों का अब कोई दावा नहीं होगा।विवादित भूमि वर्ष की 'जमाबंदी' के अनुसार 1215 बीघा 16 बीघा है।इसे 'शामलात देह हसब पाइमना मल्कियत' के रूप में दर्ज किया गया है और स्वामित्व में कॉलम में इसे 'मकबूजा मल्कन' के रूप में दर्ज किया गया है।भूमि जिसे 'शामलात देह' के रूप में दर्ज किया गया है, 1961 के अधिनियम की खंड 4 के अनुसार पंचायत के पास निहित है जो निम्नानुसार हैः-

"4. पंचायत और गैर-स्वामियों में अधिकार निहित करना।(1) तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी समझौते, लिखत, रीति-रिवाज या उपयोग या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी डिक्री या आदेश में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, देश में जो कुछ भी हो, सभी अधिकार, अधिकार और हित -

(क) जो किसी गाँव के शमिलात देह में शामिल है और जो शमिलात कानून के तहत किसी पंचायत में निहित नहीं है, इस अधिनियम के प्रारंभ में अतार सिंह बनाम आयुक्त, रोहतक विभाग में निहित होगा,

ऐसे गाँव के लिए गठित पंचायत, और जहाँ ऐसे गाँव के लिए ऐसी कोई पंचायत का गठन नहीं किया गया है, ऐसी तारीख को पंचायत में निहित होती है जिस तारीख को उस गाँव पर अधिकार क्षेत्र वाली पंचायत का गठन किया जाता है।

((ख) जो किसी गाँव के आबाद देह के भीतर या बाहर स्थित है और जो किसी गैर-मालिक के स्वामित्व वाले घर के अधीन है, वह शमिलात कानून के प्रारंभ होने पर ऐसे गैर-मालिक में निहित माना जाएगा।

(2) शमिलात कानून के तहत पंचायत में निहित कोई भी भूमि इस अधिनियम के तहत पंचायत में निहित मानी जाएगी।

(3) उप-खंड (1) के खंड (क) और उप-खंड (2) में निहित कोई भी बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी या कभी भी प्रभावित नहीं मानी जाएगी -

(i) उन व्यक्तियों के मौजूदा अधिकार, शीर्षक या हित, जिन्हें राजस्व अभिलेखों में अधिभोग किरायेदारों के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, उन्हें प्रथा द्वारा या अन्यथा समान दर्जा दिया जाता है, जैसे कि ढोलिदार, भोंडेदार, बुटीमार, बसिखुओपाहुस, सौंजीदार, मुकरारीदार;

((ii) उन व्यक्तियों के अधिकार जो पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1953 या पेप्सू ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1954 के प्रारंभ की तारीख को जमीयत देह की खेती कर रहे थे और ऐसे प्रारंभ पर किराए के भुगतान के बिना या भूमि राजस्व और उस पर देय उपकर से अधिक शुल्क का भुगतान किए बिना बारह वर्षों से अधिक समय तक इस तरह के खेती के कब्जे में थे।

((ग) ऐसे गिरवीदार के अधिकार, जिसे ऐसी भूमि 26 जनवरी, 1950 से पहले कब्जे के साथ गिरवी रखी गई है।"

(37) यह ध्यान दिया जा सकता है कि 1961 के अधिनियम की खंड 2 (जी) 'शामलात देह' को परिभाषित करती है। खंड 2 (छ) के खंड (1) से (6) उन भूमि से संबंधित हैं जो 'शामलत देह' की परिभाषा में शामिल हैं और खंड (i) से (ix) उन भूमि से संबंधित हैं जो 'शामलत देह' में शामिल नहीं हैं। 1961 के अधिनियम की खंड 2 (छ) निम्नानुसार हैः-

"शामलात देह में शामिल हैं -

(1) राजस्व अभिलेखों में शमलत देह या 682 के रूप में वर्णित भूमि

अबादी देह को छोड़कर चारंद; (2) शामलात टिक्का;

(3) राजस्व अभिलेखों में शामलात, तराफ, पट्टी, पन्ना और थोला के रूप में वर्णित भूमि और राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम समुदाय या उसके किसी हिस्से के लाभ के लिए या गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है।

5 [(4) पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 की धारा 3 के खंड (एम. एम. एम.) में परिभाषित सभा क्षेत्र के भीतर स्थित सड़कों, गलियों, खेल के मैदानों, स्कूलों, पीने के कुओं या तालाबों सहित ग्राम समुदाय के लाभ के लिए उपयोग की जाने वाली या आरक्षित भूमि, जिसमें पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 50) की धारा 18 के तहत एक गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि शामिल नहीं है, जिसका प्रबंधन और नियंत्रण उपरोक्त अधिनियम की धारा 23-ए के तहत राज्य सरकार में निहित है।

(4 क) अबादी देह या गोराह देह में स्थित खाली भूमि जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं है;

(5) किसी भी गाँव की भूमि जिसे बंजर कादिम के रूप में वर्णित किया गया है और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है;

[6]---

लेकिन इसमें ऐसी भूमि शामिल नहीं है जो-- -

(i) नदी कार्रवाई के कारण शामलात देह बन जाता है या बन गया है या राजस्व अभिलेखों में चरागाह, तालाब या खेल के मैदान के रूप में दर्ज शामलात देह को छोड़कर गाँवों में नदी कार्रवाई के अधीन शामलात के रूप में आरक्षित किया गया है;

((ii) विस्थापित व्यक्ति को अर्ध-स्थायी आधार पर आवंटित किया गया है;

(ii-a) शामलात देह था, लेकिन इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति को आवंटित किया गया है, लेकिन या

5 1992 के हरियाणा अधिनियम संख्या 9 द्वारा प्रतिस्थापित

6 1992 के हरियाणा अधिनियम संख्या 9 द्वारा धारा 2 (छ) के खंड (5) को हटाने से पहले नीचे दिया गया परंतुक 11.01.1992 से प्रभावी हैः-

“बशर्ते कि गाँव के कुल क्षेत्रफल का कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक गाँव में मौजूद न हो।”

अतार सिंह बनाम आयोग, रोहतक विभाग,

जुलाई 1985 के 9 वें दिन से पहले;

((ग) 26 जनवरी, 1950 से पहले अलग-अलग भूमि धारकों द्वारा विभाजित और खेती के तहत लाया गया है;

((iv) 26 जनवरी, 1950 से पहले किसी व्यक्ति द्वारा शामलात देह में सह-हिस्सेदार से स्वामित्व वाली भूमि खरीदकर या उसके बदले में अधिग्रहित किया गया हो, जो जामबंदी में दर्ज है या किसी वैध विलेख द्वारा समर्थित है;

(v) राजस्व अभिलेखों में शामलात तरफ, पट्टी, पन्ना और तोला के रूप में वर्णित है और राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम समुदाय या उसके किसी हिस्से के लाभ के लिए या गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है;

((vi) यह आबादी देह के बाहर स्थित है और इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले इसका उपयोग गीतवार, बड़ा, खाद गड्ढे, घर या कुटीर उद्योग के रूप में किया जा रहा था।

(vii) [7]

(viii) शामलात देह था, जिसका आकलन भूमि राजस्व के लिए किया गया था और 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले ऐसे शामलात देह में अपने-अपने शेयरों से अधिक नहीं होने वाले सह-शेयरधारकों के व्यक्तिगत कब्जे में रहा है; या,

(ix) का उपयोग पूजा स्थल के रूप में या उसके अधीन उद्देश्यों के लिए किया जाता है।"

(38) उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि 'शामलात देह' के रूप में दर्ज भूमि गांव की ग्राम पंचायत के पास निहित है और 'शामलात देह' की परिभाषा से भूमि को हटाने की मांग करने वाले व्यक्ति या मालिकों को 1961 के अधिनियम की खंड 2 (जी) के खंड (i) से (ix) में निहित अपवर्जक खंडों के आधार पर अपना मामला स्थापित करना है।

(39) इसलिए याचिकाकर्ता 1961 के अधिनियम के तहत कलेक्टर के समक्ष अपना दावा स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है कि उसका मामला बहिष्करण खंडों के तहत आता है।जय सिंह के मामले (1992 का सी. डब्ल्यू. पी. No.5877) (ऊपर) के साथ वर्तमान याचिका (2001 का सी. डब्ल्यू. पी. No.19364) की सूची वास्तव में अनुचित थी।

(40) जय सिंह के मामले (ऊपर) में, चुनौती 1948 के अधिनियम की खंड 18 के तहत एक गाँव के 'सामान्य उद्देश्यों' के लिए आरक्षित भूमि को शामिल करने की वैधता के लिए थी, जिसका प्रबंधन और नियंत्रण

7 1995 के हरियाणा अधिनियम 18 द्वारा लोप किया गया।

1961 के अधिनियम की धारा 2 (छ) के खंडों में खंड (6) और 'स्पष्टीकरण' को जोड़कर 'शामल देह' की परिभाषा के भीतर, उपरोक्त 1948 के अधिनियम की धारा 23-ए के तहत ग्राम पंचायत में निहित। दूसरे शब्दों में, 1961 के अधिनियम के खंड (6) से धारा 2 (जी) के संदर्भ में, जो भूमि राजस्व अभिलेखों में 'जुमला मालकन वा दिगर हकदरन अराज़ी हसब रसद', 'जुमला मालकन' या 'मुश्तारका मालकन' के रूप में दर्ज की गई थी, उन्हें 'शामलात देह' माना जाना था। वास्तव में इन भूमि को 1948 के अधिनियम के तहत समेकन कार्यवाही के दौरान एक मालिक की जोत पर यथानुपात में कटौती करके 'सामान्य उद्देश्यों' के लिए आरक्षित किया गया था।

(41) यह ध्यान देने योग्य है कि गाँवों में दो प्रकार की सामान्य भूमि होती है।एक 'शामलात देह' भूमि है जो ज्यादातर बस्तियों के समय बनाई गई थी।ये सामान्य भूमि समेकन कार्यों से पहले थी और समेकन कार्यों के दौरान सामान्य उद्देश्यों के लिए निर्धारित भूमि से स्वतंत्र हैं। इन्हें विभिन्न नामकरणों द्वारा 'शामलात देह' भूमि के रूप में दर्ज किया गया है।'शामलात देह' भूमि के मामले में, 1961 के अधिनियम की खंड 4 के अनुसार स्वामित्व और स्वामित्व गाँव की ग्राम पंचायत के पास निहित है। अन्य 'सामान्य भूमि' वे हैं जो 1948 के अधिनियम के तहत गाँव में समेकन कार्यवाही के दौरान बनाई गई हैं और 1948 के अधिनियम की खंड 2 (बीबी) में परिभाषित 'सामान्य उद्देश्यों' के लिए उपयोग की जाती हैं। इन भूमि का स्वामित्व और स्वामित्व ग्राम स्वामित्व निकाय के पास निहित है और केवल प्रबंधन और नियंत्रण ग्राम पंचायत के पास निहित है।ये भूमि जो 1948 के अधिनियम के तहत 'सामान्य उद्देश्यों' के लिए आरक्षित हैं, उन्हें राजस्व अभिलेखों में 'जुमला मलकान वा दिगर हकदरन अराज़ी हसब रसद', 'जुमला मलकान' या 'मुश्तारका मलकान' के रूप में दर्ज किया गया है।

(42) जय सिंह के मामले (ऊपर) में, मुद्दा यह था कि क्या 1948 के अधिनियम के तहत 'सामान्य उद्देश्यों' के लिए आरक्षित भूमि और इस तरह से दर्ज की गई भूमि को खंड (6) के संदर्भ में 'शामल देह' भूमि में शामिल किया जाना था और इसका 'स्पष्टीकरण' 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) में जोड़ा गया था।

(43) 2001 की वर्तमान रिट याचिका अर्थात सी. डब्ल्यू. पी. No.19364 में, यह कभी भी मुद्दा नहीं था और इसलिए, जय सिंह के मामले (ऊपर) में पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में इसका वास्तव में गलत तरीके से निपटारा किया गया है। इसलिए, जय सिंह के मामले (उपरोक्त) में निर्णय के संदर्भ में वर्तमान रिट याचिका (2001 का सी. डब्ल्यू. पी. No.19364) का निपटान करने का दिनांकित <आई. डी. 2 का आदेश वापस लिया जा सकता है।

(44) इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता और गाँव के अन्य मालिक अतार सिंह बनाम आयुक्त, रोहतक विभाग में भूमि के संबंध में अपने दावे उठाने के लिए उत्तरदायी हैं।

कलेक्टर, झज्जर के समक्ष 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) के बहिष्कृत खंडों (i) से (ix) में से एक या अधिक खंडों में से 'शामलात देह' की परिभाषा से अप्रयुक्त भूमि के 'शामलात देह' भूमि का हिस्सा नहीं होने या दूसरे शब्दों में 'शामलात देह' की परिभाषा से बाहर होने के बारे में प्रश्न। किस प्रकार की भूमि का निर्धारण किया जाना बाकी है, उसे सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, झज्जर श्री प्रदीप कौशिक के शपथ पत्र दिनांक 02.02.2017 के साथ अनुलग्नक आर-1 और आर-2 में दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता और गाँव के अन्य मालिक, यदि भूमि को 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) में निहित 'शामलात देह' की परिभाषा से बाहर रखा जाना है, तो वे यह दिखाने के लिए उत्तरदायी हैं कि भूमि बहिष्कृत खंडों में से एक के अंतर्गत आती है।

(45) इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भूमि ज्यादातर 'बंजर कादिम' है। जैसा कि वर्ष 1950-51 (अनुलग्नक पी-1) के लिए जमाबंदी में पहले ही देखा जा चुका है, 'बंजर कदीम' 810 बीघा 2 बिस्वास की सीमा तक दर्ज किया गया है। 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) के खंड (5) के संदर्भ में, 'शामलात देह' में किसी भी गाँव की भूमि शामिल है जिसे 'बाजार कादिम' के रूप में वर्णित किया गया है और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। इसलिए, याचिकाकर्ता और अन्य मालिकों को 'बंजर कादिम' भूमि के संबंध में यह दिखाने की आवश्यकता होगी कि इसका उपयोग राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था और केवल तभी यह 'शामलात देह' के अर्थ के भीतर नहीं आएगा।

(46) 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) के खंड (5) के नीचे दिए गए परंतुक को पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1991 (1992 का हरियाणा

अधिनियम संख्या 9) की धारा 2 (बी) द्वारा हटा दिया गया है, जिसे हरियाणा राजपत्र (अतिरिक्त), विधायी पूरक, भाग I, दिनांक 11.02.1992 में प्रकाशित किया गया था। 1992 के उक्त हरियाणा अधिनियम संख्या 9 में कोई बचत खंड नहीं है। इसलिए, उक्त परंतुक को हटाने का प्रभाव यह है कि यह कानून यानी 1961 के अधिनियम में कभी भी अस्तित्व में नहीं था।

(47) सामान्य वित्त कंपनी बनाम सी. आई. टी. 8 में, एक आयकर

निर्धारिती ने 1985 में जमा राशि प्राप्त की जो आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम'-संक्षेप में) की खंड 269-एसएस का उल्लंघन थी। इस तरह के अपराध के लिए उन पर आई. टी. अधिनियम की खंड 276-डी. डी. के तहत मुकदमा चलाया गया था, हालांकि 01.04.1989 से उस खंड को हटाने से पहले शुरू किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त प्रावधान को हटाए जाने के बाद अभियोजन जारी नहीं रखा जा सकता है और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 ('जी. सी. अधिनियम'-संक्षेप में) की धारा 6 इस तरह के 8 (2002) 7 एस. सी. सी. 686 को नहीं बचा सकती है।

उसकी खंड 6 के रूप में अभियोजन केवल निरसन पर लागू होता है और किसी प्रावधान को छोड़ने पर नहीं। रिलायंस को रायल में सुप्रीम कोर्ट के पहले के दो संवैधानिक पीठ के फैसलों पर रखा गया था।

निगम (पी) लिमिटेड और एम. आर. प्रताप बनाम प्रवर्तन निदेशक, नई दिल्ली 9 और कोल्हापुर केनेसुगर वर्क्स लिमिटेड और दूसरा बनाम भारत संघ और अन्य 10 जिसमें यह आयोजित किया गया था।

कि जी. सी. अधिनियम की खंड 6 अधिनियमों के निरसन पर लागू होती है लेकिन चूक के मामले में लागू नहीं होती है।

(48) वर्तमान मामले में, 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) के खंड (5) के नीचे का परंतुक, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि गाँव के कुल क्षेत्र के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक 'शामलात देह' गाँव में मौजूद नहीं है; 1992 के हरियाणा अधिनियम संख्या 9 द्वारा हटा दिया गया है। इसलिए, इसका प्रभाव निरसन से अलग है और इसे इस तरह लिया जाना चाहिए जैसे कि इसका अस्तित्व ही नहीं था। भूमि का निर्धारण चाहे वे 'शामलात देह' हों या नहीं, 1961 के अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के आधार पर और 'बंजर कादिम'

भूमि के मामले में 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) के खंड (5) के परंतुक के आधार पर किया जाना है।

(49) इन परिस्थितियों में, सिविल विविध।2015 के आवेदन No.10457 की अनुमति है और जय सिंह के मामले (1992 के CWP No.5877) (ऊपर) में पारित आदेश के संदर्भ में वर्तमान याचिका (2001 के CWP No.19364) का निपटान करने वाले 13.03.2003 के आदेश को वापस लिया जाता है और उक्त रिट याचिका का निपटान कलेक्टर, झज्जर को 1961 के अधिआदेश की धारा 13-ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री के शपथ पत्र के अनुलग्नक आर-1 और आर-2 में विस्तृत अप्रयुक्त भूमि के बारे में निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया जाता है। प्रदीप कौशिक, एस. डी. ओ. (सिविल)-सह-सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, झज्जर राजस्व अभिलेखों के आधार पर और यह पता लगाने के लिए कि क्या भूमि 1961 के अधिआदेश की धारा 2 (जी) में परिभाषित 'शामलात देह' की परिभाषा के अंतर्गत आती है और 'बंजर कादिम' भूमि के संबंध में 'शामलात देह' के अंतर्गत आने के लिए यह पता लगाने के लिए उत्तरदायी है कि क्या इसका उपयोग राजस्व अभिलेखों के अनुसार सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था; इसके अलावा, धारा 2 (जी) के खंड (5) के नीचे दिए गए परंतुक को अस्तित्व में नहीं माना जाएगा।

शुभरीत कौर

9 (1969) 2 एससीसी 412 10 (2000) 2 एससीसी 536

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा